पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 252/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 16.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

01. थाना – अतरौलियाः डीमैट एकाउन्ट खुलवाने के नाम पर साइबर फ्राड हुए 8,900/- रूपये को पुलिस ने कराया वापस।

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 26.07.2024 को आवेदक आयुष मिश्रा पुत्र विजय प्रकाश मिश्रा निवासी मदियापार थाना अतरौलिया आजमगढ़ के खाते से Demat एकाउन्ट खुलवाने के नाम पर 8,900/- रुपये की ठगी कर ली गई है। जिसकी शिकायत पर थाना स्थानीय पर क0आ0 आशीष कुमार द्वारा साईबर शिकायत संख्या 23107240082667 पंजीकृत किया गया उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते से कटे कुल 8,900/- रूपये वापस करा दिया गया।

➡ आवेदक 23107240082667 के प्रा0पत्र/ साईबर कम्पलेन के जांच के क्रम में थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार द्वारा आवेदक के खाते में कुल 8,900/- रूपये वापस कराया गया।

पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

02.थाना तरवाः चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 01.05.2024 को वादी मुकदमा डा0 नरेन्द्र पान्डेय S/O स्व0 शिवदन्त पान्डेय खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के वाउण्ड्री वाल के अन्दर से दरवाजा तोड़कर समर सेवल, स्टार्टर व कुदाल चोरी कर लिया गया है, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 133/2024 धारा 457,380 भादवि बनाम अज्ञात चोरो के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दिनांक 18.07.2024 को वादिनी मुकदमा सुमन पुत्री स्व0 राम पवन सिंह ग्राम बीबीपुर थाना तरवा जिला आजमगढ के घर में मकान का ताला तोड कर दो चांदी की पायल व एक सोने का माला व एक सोने का टप कान का व चार सोने कि अगूठी व एक सोने कि नथिया व पानी पीने वाला टूल्लू पम्प व नगद 30 हजार रुपये ये सब उठा ले गया है जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 222/2024 धारा 331(4),305BNS के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसका विवेचना व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादितकी जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 16.08.2024 को व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये आये अभियुक्त 1.अमित गौड़ पुत्र सिधारी गौड़ उम्र करीब 23 वर्ष 2. अभिषेक यादव पुत्र रामवचन यादव उम्र 24 वर्ष निवासीगण ग्राम बीबीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को महमूगंज तिराहे से समय 07.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया है जिनके पास से चोरी के एक टुल्लु पम्प, एक स्टार्टर, एक कुदाल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना कन्धरापुरः किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 14.08.2024 को वादी मुकदमा थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ ने थाना कंधरापुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनाक 13/08/2024 को रात्रि 12 वजे विपक्षी मुहम्मद नसीम s/o सत्तार अली ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र 30 वर्ष द्वारा वादी मुकदमा के घर के बरामदे में सोती हुई वादी मुकदमा की भाँन्जी उम्र 16 वर्ष के साथ छेड़खानी की गयी, शोर मचाने पर मुहम्मद नसीम मौके से भाग गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/24 धारा 75(1)BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम मुहम्मद नसीम s/o सत्तार अली ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया। बाद विवेचना धारा 351(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 16.08.2024 को व0उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुहम्मद नसीम s/o सत्तार अली ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र 30 वर्ष को अभियुक्त के घर ग्राम मुजफ्फरपुर से समय करीब 10.55 बजे अभि0 को हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना – रौनापारः लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 26.05.24 को वादी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 13.05.24 को विपक्षी शैलेन्द्र चौहान पुत्र बालकिला चौहान साकिन भिण्डकुण्ड थाना उभांव जनपद बलिया द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 24 वर्ष को समय करीब 08.00 बजे सुबह में बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 221/24 धारा 366 भादवि बनाम शैलेन्द्र चौहान पुत्र बालकिला चौहान साकिन भिण्डकुण्ड थाना उभांव जनपद बलिया के पंजीकृत किया गया है। जिसमे बाद पीड़िता की बरामदगी व बयान 161 व 164सीआरपीसी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि की बढोतरी किया गया तथा पीड़िता के जाति प्रमाण पत्र के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(2)V एससी/एसटी की बढोतरी करते हुए विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी को प्रेषित किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 16.08.24 को व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शैलेन्द्र चौहान पुत्र बालकिला चौहान साकिन भिण्डकुण्ड थाना उभांव जनपद बलिया 26 वर्ष को भीमबर पुलिया से समय करीब 09.05 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

05.थाना रौनापार: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अवैध असलहा रखने व बिक्री करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.08.24 को उ0नि0 चन्द्रदेव यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सपहा चाँद गेट से समय करीब 23.55 बजे एक नफर अभियुक्त विजय प्रताप सिंह पुत्र प्रमोद सिंह नि0 बहावनपुर थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को एक देशी तमंचा 315बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 339/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त विजय प्रताप सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

06.थाना- कप्तानगंज: 09 अंग्रेजी व 18 देशी अवैध शराब की शीशी (प्रत्येक शीशी 180 ml) के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अवैध शराब व मादक द्रव्य की अवैध बिक्री कर रहें अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहें अभियान के क्रम में दिनांक 15.08.2024 को उ0नि0 अमन तिवारी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान तेरही गांव मोड़ के पास से एक व्यक्ति लालमन यादव पुत्र सत्यनरायन यादव निवासी ग्राम व थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को 09 अंग्रेजी व 18 देशी अवैध शराब के साथ समय 20.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0- 258/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम अभियुक्त लालमन यादव उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।